न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 14/2013

परमेश्वरी पुत्री किशनसिंह पत्नी बलसिंह जाति राजपूत निवासी चक 3 बी.जे. डब्ल्यू. पोस्ट ऑफिस सोमासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगागनर।

बनाम

1. बीरबलसिंह
2. बृजूसिंह

पिसरान किशनसिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

3. मनोहरी पुत्री किशनसिंह पत्नी विशालसिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला पोस्ट ऑफिस सोमासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. लिछमा पत्नी चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. गुलाबसिंह
6. उगमसिंह
7. पृथ्वीसिंह

पिसरान चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

8. कुशालसिंह
9. मानसिंह

पिसरान इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता लिछमा पत्नी चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ।

10. भंवरी पुत्री चन्द्रसिंह पत्नी सुलतानसिंह जाति राजपूत निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
11. पुष्पाकंवर पुत्री चन्द्रसिंह पत्नी गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
12. बिमला
13. चिना कंवर
14. सुशीला कंवर
15. पार्वती कंवर

पुत्रियां चन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। — रेस्पोंडेन्ट्स

9/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 22.04.2004

उपस्थितिः-

श्री भगवानदत शर्मा, अभिभाषक अपीलांट

श्री अजय अरोडा, अभिभाषक रेस्पों. सं. 1, 2, 5

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक , राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :- 09.10.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष रा.का.अ. की धारा 53, 188 का पेश कर चक 1 बी.जे.डब्ल्यू के खाता संख्या 17 की कुल 96 बीघा भूमि में से 1/7 हिस्से की में से अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब का खाता प्रतिवादीगण से अलग करवाने तथा प.नं. 92/2 का जोड 18.02 के स्थान पर 19.02 करने का निवेदन किया एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वे वादीया के हिस्सा के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी न करें। प्रतिवादीगण द्वारा जबाव पेश नहीं करने पर स्टेट का जबाब लेकर उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने दिनांक 28.08.2003 को प्राथमिक डिकी जारी कर तहसीलदार से विभाजन के प्रस्ताव मंगवाने के आदेश दिये। विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 22.04.2004 को अंतिम डिकी जारी की जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विभाजन के प्रस्ताव आने पर अधी. न्यायालय द्वारा पक्षकारें को बिना सुने अन्तिम डिकी जारी कर दी। अधी. न्यायालय द्वारा विभाजन के समय रास्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जो उचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर , बिना किसी देरी के अपील पेश

9/10/17
अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

कर दी। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.04.2004 का है एवं अपील दिनांक 30.07.2012 को पेश की है जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। जानकारी किससे हुई यह नहीं बताया। इसके अलावा विवादित भूमि का हिस्से अनुसार विभाजन किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 22.04.2004 के विरूद्ध दिनांक 30.07.2012 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश नहीं करने पर न्यायहित में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट द्वारा अपील में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया है कि विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें सुना नहीं गया एवं रास्ते के सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं दिया गया। किन्तु अपीलांट ने यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि विभाजन में उसके हिस्से से कम की भूमि दी हो एवं रेस्पों. को अधिक भूमि दी हो। अपीलांट ने अपील में जो तथ्य उठाए हैं उनके आधार पर अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

परमेश्वरी पुत्री किशनसिंह पत्नी बलसिंह जाति राजपूत निवासी चक 3 बी.जे. डब्ल्यू.पोस्ट ऑफिस सोमासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगागनर।

——अपीलांट

बनाम

1. बीरबलसिंह | पिसरान किशनसिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला तहसील
2. बृजूसिंह | सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. मनोहरी पुत्री किशनसिंह पत्नी विशालसिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला पोस्ट ऑफिस सोमासर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. लिछमा पत्नी चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. गुलाबसिंह |
6. उगमसिंह | पिसरान चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला तहसील
7. पृथ्वीसिंह | सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
8. कुशालसिंह | पिसरान इन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला नाबालिग
9. मानसिंह | जरिये कुदरतीवली माता लिछमा पत्नी चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला तहसील सूरतगढ।
10. भंवरी पुत्री चन्द्रसिंह पत्नी सुलतानसिंह जाति राजपूत निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
11. पुष्पाकंवर पुत्री चन्द्रसिंह पत्नी गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
12. बिमला |
13. चिना कंवर | पुत्रियां चन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी भोजेवाला तहसील
14. सुशीला कंवर | सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
15. पार्वती कंवर |

9/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज)

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। —— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील संख्या 14/2013 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सूरतगढ मुर्ख्ख 22 माह 04 सन् 2004

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 09 माह 10 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री भगवानदत शर्मा अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री अजय अरोडा अभिभाषक रेस्पों. सं. 1, 2 , 5 एवं श्री श्यामसुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। (खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X ......) रूपये.. X . ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 09.10.2017 जारी किया गया।

9/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर